राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1677/2008/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वरूण एण्ड कंपनी,
47, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी, अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकाने (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 307/सीएसटी/श्रीगंगानगर/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2007 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"सीएसटी"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29, 65 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत कायम अतिरिक्त कर 204554/– रूपये, शास्ति अन्तर्गत धारा 65 रूपये 511382/– एवं ब्याज रूपये 147802/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी ने अर्न्तप्रान्तीय व्यवसायी के कम में की गई बिक्री पर बिलों में चार्ज किये गये भाडे तथा बीमा की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर करारोपण किया एवं ब्याज तथा उक्त की करवंचना करने के कारण राजस्थान विक्रय कर अधिनयम, 1994 की धारा 65 के तहत शास्ति आरोपित की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा माह दिसम्बर तक की गई सरसों तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री रूपये 2740533/– पर रूपये 51137/– का अधिक सेट ऑफ क्लेम करना मानकर एवं तद्नुसार प्रत्यर्थी की कर देयता को छुपाया जाना माना। सशक्त अधिकारी ने अधिक लिए गए सेट ऑफ पर ब्याज एवं करवंचना पर धारा 65 के तहत शास्ति आरोपित कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अधिनियम की धारा 61 की शास्ति को छोडकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार किया। अपीलीय आदेश दिनांक 24.04.2008 से व्यथित होकर राजस्व ने यह अपील राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं तर्क दिया कि अर्न्तप्रान्तीय बिक्री के दौरान की गई बिक्री में वसूल की गई भाडे की राशि एवं बीमा राशि विक्रय से पहले किये गये खर्चे होने के कारण पण्यावर्त का हिस्सा है उन्होंने इसके समर्थन में 43 एसटीसी 13 का उद्धरण प्रस्तुत किया। तदनुरूप सशक्त अधिकारी ने इस पर करारोपण एवं शास्ति आरोपण में कोई त्रुटि कारित नहीं की है जहां तक सेटऑफ अधिक लेने का प्रश्न है उक्त कर निर्धारण पूर्व में दिनांक 28.02.2005 को सामयिक कर निर्धारण किया गया था जिसमें अस्वीकृत सेटऑफ की राशि 51,137/– अधिक क्लेम करने पर करवंचना हेतु अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति 1,02,274/– रूपये आरोपित की गई थी उसको अन्तिम कर निर्धारण आदेश में समाहित किया गया था जिसमें कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन कर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। जहां तक अधिक सेटऑफ क्लेम करने का प्रश्न है रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने अन्तिम कर निर्धारण आदेश में पूर्व में अधिक क्लेम किये गये सेटआफ (Partial Exemption) रूपये 51,137/– का आरोपण नहीं किया है अथवा इस राशि का दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है तो स्वतः ही इस आधार पर आरोपित शास्ति अंतर्गत धारा 65 रूपये 1,02,274/– अपास्तनीय है। तदनुरूप अपीलीय अधिकारी ने इसको अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

जहां तक भाडा, लोडिंग चार्जेज एवं बीमा आदि खर्चो की राशि कीमतन 1,02,27,710/– रूपये पर आरोपित कर एवं इसकी वंचना पर धारा 65 में आरोपित शास्ति का प्रश्न है इसके लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(एच) का अवलोकन समीचीन होगा :–

2(h) "Sale price" means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;"

लगातार.....3

7. उपरोक्त परिभाषा के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 2(एच) के दो भाग है प्रथम अगर माल की डिलीवरी के पूर्व में खर्च है तो वे विक्रय मूल्य का हिस्सा होंगे एवं अगर माल की डिलवरी के बाद के खर्चो एवं भाडे को बिलों में पृथक से वसूल किया गया है तो वे विक्रय मूल्य का हिस्सा नहीं होंगे। अपीलाधीन प्रकरण में भाडा बिल्टियों पर स्पष्टतः "फ्रेट टू पे" लिखा है। वाहन चालक को आंशिक राशि अग्रिम के रूप में दी गई है जिसे कि क्रेता के नाम लिखकर उससे वसूल कर ली गई है। यह एक आम व्यावसायिक प्रथा है कि बीमा आदि सभी औपचारिकताएं क्रेता के निर्देश पर विक्रेता को ही करवानी पडती है। ऐसे समस्त खर्चे बाद में रिम्बर्स किये जाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से ही व्यवहारी अपना पक्ष रखता रहा है कि तेल के सौदे Ex factory है। उद्धरित निर्णय 43 एसटीसी 13 के तथ्य भिन्न प्रकार के है अर्थात प्राईस कन्ट्रोल आर्डर के अनुसार निश्चित कीमत राशि में से भाडे की राशि को घटाया गया था। ऐसे तथ्य अपीलाधीन प्रकरण में नहीं है। इसके अतिरिक्त रा.बि.क.अ. 1994 की धारा 2(39) के द्वितीय स्पष्टीकरण के अनुसार व्यवहारी ने प्रथम दृष्टया ही अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया था एक तो बिल बिल्टी पर स्वयं पर ही "फ्रेट टू पे" लिखा है द्वितीय वाहन चालक को दी गई अग्रिम राशि क्रेता के नाम लिखकर उससे वसूल कर ली गई है। उक्त विश्लेषण अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में भी किया है अतः ये खर्चे माल की सुपुर्दगी के बाद के होने के कारण पण्यावर्त का हिस्सा नहीं हो सकते है तदनुरूप इस आधार पर आरोपित कर, ब्याज व करवंचना मानकर आरोपित की गई शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है, जिसकी पुष्टि की जाती है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

22.3.2017

(मदन लाल)
सदस्य